2014- अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सं0 01/14
(राज0उप0 अधि0 की धारा 11/14)

...पुत्र श्री चन्दूराम जाति कुम्हार निवासी डूँगरसिंहपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

शिकायतकर्ता

बनाम

सोहन लाल पुत्र श्री सुल्तान राम जाति जाट साकिन खाटवां तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
स्टेट

– अप्रार्थीगण

श्री पृथ्वीराज शर्मा, अधिवक्ता, शिकायतकर्ता की ओर से।
श्री मोहन लाल छाबड़ा, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं0 1
श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, अप्रार्थी सं0 2

आदेश **दिनांकः 12–11–2016**

पत्रावली लोक अदालत के समक्ष पेश हुई। सक्षेंप में प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी सं0 1 सोहन लाल गॉव खांटवां तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)के नाम खाता सं0 5 में 31/79 हिस्सा व खाता सं0 116 में 54 कैनाल 13 मरला नहरी भूमि व खाता सं0 3/3 में 7 कैनाल 3 मरला में 1/3 हिस्सा नहरी भूमि है। अप्रार्थी का वोट सन् 2013 ग्राम पंचायत खाटवां में वोट परिवार सहित बना हुआ है। अप्रार्थी सं0 1 पंजाब का मूल निवासी होते हुए चक ... एस पी एम पटवार हल्का गणेशगढ बी तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर (राजस्थान) के पत्थर नं0 28/199 मु0 नं0 16 किला नं0 1 ता 8,23–24 कुल 20 बीघा नहरी भूमि व पत्थर नं0 27/199 मु0 नं0 17 कि0 नं0 1 ता 16 व 25 कुल 17 बीघा नहरी भूमि कुल 37 बीघा नहरी भूमि का आवंटन करवा ली है। अप्रार्थी ने तथ्यों को छुपाकर गलत तरीके से आवंटन करवाया है इसलिए आवंटन निरस्त किया जाकर कब्जा बहक सरकार लिया जावे।

अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने दिनांक 15–10–15 को शिकायत का जवाब पेश किया। अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब में कथन किया है कि उसका रजिस्टर्ड पता गॉव व डाकखाना गणेशगढ तहसील व जिला श्री गंगानगर (राज0) है। अप्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी है लेकिन विगत तीन वर्षो से पंजाब में निवास कर रहा है। इससे पूर्व राजस्थान में स्थाई तौर से निवास करता था। अप्रार्थी द्वारा 37 बीघा भूमि का आवंटन नहीं करवाया गया है इसलिए धारा 11/14

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान अप्रार्थी पर लागू नहीं होते हैं। अप्रार्थी ने न तो कोई तथ्य छुपाया है और न ही तथ्य छुपाकर कोई आवंटन करवाया है। कि अप्रार्थी को कोई आवंटन नहीं हुआ है इसलिए आवंटन विधि विरूद्व एवं तथ्यों को छुपाकर करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। चक 20 एस पी एम तहसील सादुलशहर में जब कोई भूमि का आवंटन ही नहीं हुआ है इसलिए किसी भी विधि के अन्तर्गत आराजी को खारिज नहीं किया जा सकता है और न ही कब्जा बहक सरकार लिया जा सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा तथ्यों से परे रंजिशवश शिकायत की गई है। हस्तगत प्रकरण धारा 11/14 की परिधि में नहीं आता है। प्रश्नगत 37 बीघा नहरी भूमि जोरा राम पुत्र श्री जगमालाराम जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा तहसील सादुलशहर को आवंटित हुई थी, जिसके द्वारा उक्त भूमि का बेचान जरिये पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा दिनांक 24–5–70 से जगदीशचन्द्र पुत्र श्री हरीशचन्द्र जाति जाट निवासी सूरजवाली तहसील श्री गंगानगर को कर दिया गया था एवं उसके उपरांत उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 1 के नाम से रिकार्ड हुई थी। शिकायत प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि अप्रार्थी सं0 1 को आवंटित नहीं हुई है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में मात्र इतना ही कहा है कि हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से वह सहमत है।

अप्रार्थी सं0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अप्रार्थी सं0 1 ने तथ्य छुपाकर किसी भी भूमि का आवंटन नहीं करवाया है। अप्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी है। विगत तीन वर्षो से पंजाब में रह रहा है जो आता जाता रहता है। भूमि का आवंटन जोरा राम को हुआ था, जिसने प्रश्नगत भूमि का विक्रय जरिये पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 24–5–70 से जगदीश चन्द्र को कर दिया था। उसके उपरांत भू प्रबन्ध विभाग द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के नाम से भूमि का अमल दरामद किया गया। विवादित भूमि का आवंटन अप्रार्थी को नहीं हुआ है न ही तथ्यों को छुपाया गया है इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 11/14 के प्रावधान अप्रार्थी पर लागू नहीं होते हैं। शिकायत तथ्यों से परे एवं रंजिशवश की गई है इसलिए खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि खसरा गिरदावरी सम्वत् 2023 से 2026 में चक 20 एस पी एम के अनुसार मु0 नं0 16/1, 16/14, 17/1 एवं 17/14 में वर्णित भूमि जोराराम,धन्नाराम, चेतराम पिसरान जगमालराम के नाम दर्ज है। भूप्रबन्ध विभाग की खतौनी के अनुसार उक्त रकबा अप्रार्थी सं0 1 के नाम से दर्ज है।

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार(भू0अ0) सादुलशहर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट कमांक भू0अ0/2016/1621 दिनांक 25–5–16 द्वारा अवगत कराया है कि चक 20 एस पी एम के जमाबंदी के खाता सं0 115/100 में मु0 नं0 16 कि0 नं0 1 ता 18 व 23,24 में कुल 5.060 है0 नहरी मय गै0 मु0 व मु0 नं0 17 कि0 नं0 1 ता 16 व 25 में 4.301 है0 नहरी मय गै0 मु0 इस प्रकार कुल 9.361 है0 रकबा सोहन लाल पुत्र सुलतानाराम जाति जाट साकिन गणेशगढ खातेदार दर्ज है। इंतकाल सं0 368

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

दिनांक 20.9.13 किस्म बैयनामा के इंतकाल द्वारा मु0 नं0 17 कि0 नं0 5–6–7,11 ता 16, 25 कुल रकबा 2.530 है0 नहरी मय गै0मु0 रकबा सरोज पत्नी महेन्द्र जाति जाट साकिन डूँगरसिंहपुरा व मु0 नं0 16 कि0 नं0 1 ता 18, 23, 24 में 5.060 है0 व मु0 नं0 17 कि0 नं0 1 ता 4, 8 ता 10 में 1.771 है0 कुल 6.831 है0 नहरी मय गै0 मु0 रकबा अरूणकुमार पुत्र महावीर जाति जाट साकिन 6 एच एच महियांवाली को बेचान कर दिया है। अरूणकुमार 6.831 है0 रकबा एचडीएफसी बैंक शाखा श्री गंगानगर में रहन है। सोहन लाल द्वारा सम्पूर्णसिंह को 37 बीघा भूमि का बेचान किया जा चुका है। उक्त रकबा सोहन लाल या अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित हुआ है या नहीं, इस संबंध में कोई राजस्व रेकार्ड पटवार मण्डल चौ0 चेतरामवाला (चक 20 एस पी एम) के पास नहीं है।

इस प्रकार, तहसीलदार, सादुलशहर की उपरोक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि रकबा अप्रार्थी सं0 1 सोहन लाल के नाम खाता सं0 115/100 में मु0 नं0 16 व 17 का कुल 9.361 है0 रकबा खातेदार दर्ज है। सोहन लाल द्वारा अपना सम्पूर्ण 37 बीघा भूमि का बेचान किया जा चुका है। उक्त रकबा सोहन लाल या अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित हुआ है या नहीं, इस संबंध में कोई राजस्व रेकार्ड पटवार मण्डल चौ0 चेतरामवाला (चक 20 एस पी एम) के पास नहीं है।इस प्रकार शिकायतकर्ता यह साबित नहीं कर सका है कि सोहन लाल द्वारा तथ्यों को छुपा कर शिकायत प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का आवंटन करवाया हो। जवाब में अप्रार्थी ने स्पष्ट कथन किया है कि चक 20 एस पी एम तहसील सादुलशहर में जब कोई भूमि का आवंटन ही नहीं हुआ है इसलिए किसी भी विधि के अन्तर्गत आराजी को खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रश्नगत 37 बीघा नहरी भूमि जोरा राम पुत्र श्री जगमालाराम जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा तहसील सादुलशहर को आवंटित हुई थी, जिसके द्वारा उक्त भूमि का बेचान जरिये पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा दिनांक 24–5–70 से जगदीशचन्द्र पुत्र श्री हरीशचन्द्र जाति जाट निवासी सूरजवाली तहसील श्री गंगानगर को कर दिया गया था। शिकायत प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि अप्रार्थी सं0 1 को आवंटित नहीं हुई है। अप्रार्थी सं0 1 के जवाब का भी शिकायतकर्ता द्वारा सारवान साक्ष्य से खण्डन नहीं किया गया है इसलिए धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में शिकायत सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि हस्तगत प्रकरण में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 11/14 के प्रावधान लागू नहीं होने से, शिकायतकर्ता की शिकायत सारहीन होने से खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 12–11–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/11/16

(करतारसिंह पूनियाँ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)